ग्राम पंचायत नंगल चौक, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नंगल चौक, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्री रनवीर सिंह	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्री प्रकाश धीमान	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्रीमति सोमा देवी	1-4-2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नंगल चौक के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	9	टॉवर शुल्क वसूली न करना	0.22
2	10	अनुदान उपयोग न करना	11.76
3	11	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.94
4	12	VKVKVNY अनुदान में प्राप्त राशि के बारे में	0.50
5	15	कार्य मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	1.23
6	16	पंचायत निर्माण कार्यो के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	4.23

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नंगल चौक, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22 /9 /2016 से 26/9/2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2013-14	3/2014	3/2014
2014-15	3/2015	3/2015
2015-16	3/2016	9/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क** :-

ग्राम पंचायत नंगल चौक, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227/2016 दिनांक 26-9-2016 द्वारा अनुरोध किया गया |

4 **वितीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत नंगल चौक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रोत :-**ग्राम पंचायत नंगल चौक के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	121223	31296	152519	30581	121938
2014-15	121938	104115	226053	65869	160184
2015-16	160184	65347	225531	33414	192117

(2) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत नंगल चौक के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक

की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	261741	1446386	1708127	1203638	504489
2014-15	504489	1079453	1583942	859327	724615
2015-16	724615	1862742	2587357	1410938	1176419

5 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नंगल चौक द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹165016 का अंतर था| अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें|

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष 192117

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 1176419

योग 1368536

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था|

क्र संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	एस बी आई नंगल चोंक	11526532153	118990
2	के सी सी बी डाडासीबा	200223000448	992348
3	के सी सी बी डाडासीबा	50056057959	933
4	के सी सी बी डाडासीबा	50056058704	22366
5	के सी सी बी डाडासीबा	50056059208	58946
6	के सी सी बी डाडासीबा	50056058771	2601
7	के सी सी बी डाडासीबा	50057388153	0
8	के सी सी बी डाडासीबा	50023044545	6332
9	के सी सी बी डाडासीबा	20023044545	0
		योग	**1202516**
		हस्तगत राशि	1004
		योग	**1203520**

अंतर 1368736-1203520 =₹165016

6 **<u>निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना</u> :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 **<u>रोकड़ वही का रख रखाव उचित प्रकार से न करना :-</u>**

ग्राम पंचायत की रोकड़ वहियों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ वहियों में योग गलत लगाये गये, बहुत ज्यादा कटिंग,OVERWRITING की गयी है तथा प्रधान द्वारा इन्हें सत्यापित नहीं किया गया| कई मामलों में भुगतान वाउचर संख्या दर्शाई नहीं गयी है| अत: इस बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए|

8 **<u>पंचायत राजस्व की वसूली</u> :-**

पंचायत सचिव नंगल चौक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि ₹6300 वसूली हेतु शेष थी|

1 **गृहकर**:

<u>वर्ष</u>	**<u>अथशेष</u>**	**<u>मांग</u>**	**<u>योग</u>**	**<u>प्राप्ति</u>**	**<u>वसूली हेतु शेष राशि</u>**
2013-14	8175	13500	21675	21675	Nil
2014-15	Nil	27000	27000	24800	2200
2015-16	2200	27000	29200	22900	6300

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण

रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया| अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए|

9 <u>टॉवर शुल्क ₹0.22 लाख की वसूली न करना</u>

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: पी सी एच -एच (2) 8 /99 दिनांक 9-11-2006 के द्वारा मोबाइल टॉवर स्थापित करने के लिए ₹4000 प्रति टॉवर की दर से शुल्क तथा ₹2000 प्रति टॉवर नवीनीकरण शुल्क तथा प्रत्येक 5 बर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि निर्धारित की गयी है| सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित टॉवर से न तो टॉवर स्थापना शुल्क लिया गया न ही उनसे से निम्नानुसार कोई भी नवीनीकरण शुल्क नहीं लिया गया जिसकी वसूली की जाए|

कम्पनी का नाम	**स्थापना वर्ष**	**स्थापना शुल्क**	**नवीनीकरण शुल्क**	**अवधि**	**राशि**
बीएस एन एल	2007	4000		1	4000
	2008-09 से 2012-13		2000	5	10000
	2013-14 से 2015-16		2500	3	7500
					21500

10 <u>अनुदान ₹11.76 लाख का उपयोग न करना ;-</u>

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1176419 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

11 **<u>प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.94 लाख का अधिक व्यय</u>**

सचिव ग्राम पंचायत नंगल चौक द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार ZP, DPO में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹93830 की राशि ऋणात्मक दर्शाई गयी है| जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन ZP, DPO में अथवा किसी अन्य योजना से ZP ,DPO का भुगतान करने के फलस्वरूप है| इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं|

1 ZP 12501

2 DPO 81329

योग ₹93830

12 **<u>VKVNVKVNY अनुदान में प्राप्त ₹0.50 लाख के बारे में</u>**

दिनांक 14-9-2013 को VKVNY VKVNYअनुदान की प्राप्ति रोकड़ वही में ₹50000 दर्ज की गयी परन्तु इस अनुदान की बैंक पास बुक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसे आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए|

13 **<u>गृह कर की प्राप्त की गयी ₹100 को जमा न करवाना</u>**

निम्नानुसार रसीदों द्वारा गृह कर की वसूल की गयी ₹100 को न तो रोकड़ वही में दर्ज किया गया और न ही बैंक में जमा करवाया गया जिसकी वसूली करके राशि जमा की जाए|

RT No	Month	Amount
23003	3/16	50
23004	3/16	50

14 **<u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-</u>**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अवाभ में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्वि नियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है|

15 **<u>Assessmentकार्य मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान करना :-</u>**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की कार्य मूल्यांकन (assessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा| परन्तु जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट (4) पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹123175 का भुगतान Assessment assessmentके बिना किया गया| अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए Assessment assessके बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए|

16 **<u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 66 से 73 तक पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (2) व (3)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹423088 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया , जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय निविदाएँ प्राप्त किए बिना ही किया गया है| अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए |

मदों की सूचि परिशिष्ट (2)	**185226**
सीमेंट की सूचि परिशिष्ट (3)	**237862**
योग	**<u>423088</u>**

17 **<u>अदायगी आदेश(पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-</u>**

ग्राम पंचायत के भुगतान वोउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है| जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है| अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिशित किया जाए|

18 **<u>मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-</u>**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(i)से (iv) के अनुसार ग्राम पंचायत चन्नौर की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया और न ही test check किया गया| अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए|

19 **<u>मस्टररोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-</u>**

पंचायत नंगल चौंक द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्टरोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए।

20 **<u>विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

<u>क्रम</u>	**<u>रजिस्टर/अभिलेख</u>**	**<u>फॉर्म संख्या</u>**	**<u>संदर्भित नियम</u>**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

21 **<u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 **<u>लघु आपति विवरणिका :-</u>** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

23 **निष्कर्ष :-** ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)55/2016–खण्ड–1–745–748 दिनाँकः07.02.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत नंगल चौक, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1(ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी

करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.